आदेश पत्रक
(देखें अभिलेख हस्तक, 1941 का नियम 129)

आदेश फलक ता० .... से .... तक

जिला–सिमडेगा .... सं० .... सन् 2000

केस का प्रकार अनुमति वाद सं० 15 / 2020-21

धारा 46 के अन्तर्गत

आदेश के क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की कार्रवाई के बारे तारीख सहित टि
1	2	3
18/7/20	आवेदक श्री दान कृष्ण बरला पिता / प्रति स्व० अगापित बरला ग्राम सोगड़ा, पंचियाटोली, लल मोकान गरजा थाना सिमडेगा जिला–सिमडेगा ने निम्नांकित विवरण की भूमि को प्रस्तावित क्रेता श्रीमती मेडलिन कुल्लू पिता / प्रति स्व० जोनअस कुल्लू ग्राम सलसेवई चौपताटोली थाना सिमडेगा जिला–सिमडेगा, को छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम, 1908 की धारा–46 के अन्तर्गत भूमि बिक्री हेतु अनुमति के निमित्त आवेदन पत्र अर्पित किया है। क्रेता एवं विक्रेता का प्रतिशपथ पत्र के साथ अधिवक्ता की नियुक्ति पत्र भी जमा की गई है। **भूमि का विवरण** मौजा: गरजा; थाना / थाना न०: सिमडेगा 80; खाता सं०: 3; प्लॉट सं०: 1806; रकबा: 1.17 ए० में से 0.10 ए० कुल आवेदित रकबा (शब्दों में) दस डिसमील मात्र। आम इश्तहार निर्गत करें। साथ ही अंचलाधिकारी, सिमडेगा से विस्तृत जाँच प्रतिवेदन की मांग करें। अभिलेख दिनांक 5/8/20 को रखें। (हस्ताक्षर) भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, सिमडेगा।	

Scanned with CamScanner

22.8.21	अभिलेख उपस्थापित। नोटिश की तामिला प्रति प्राप्त। अंचल अधिकारी का जाँच प्रतिवेदन अप्राप्त। आवेदक/विक्रेता या उनके विद्वान अधिवक्ता द्वारा भी किसी प्रकार की कोई पैरवी नहीं किया गया है। अभिलेख दिनांक...20.10.21...को उपस्थापित करें।
20.10.21	अभिलेख उपस्थापित। अंचल अधिकारी का जाँच प्रतिवेदन अप्राप्त। विक्रेता की ओर से स्वंय आवेदक/विक्रेता या उनके विद्वान अधिवक्ता द्वारा भी किसी प्रकार की कोई पैरवी नहीं किया गया है। अभिलेख दिनांक...16.11.21...को उपस्थापित करें।
16.11.21	अभिलेख उपस्थापित। नोटिश की तामिला प्रति प्राप्त। अंचल अधिकारी का जाँच प्रतिवेदन अप्राप्त। आवेदक/विक्रेता की ओर से स्वंय आवेदक/विक्रेता या उनके विद्वान अधिवक्ता द्वारा भी किसी प्रकार की कोई पैरवी नहीं किया गया है। इस वाद में प्रतित होता है कि इसमें विक्रेता को किसी प्रकार कोई अभिरूची नहीं है साथ ही अंचल अधिकारी के द्वारा भी अभी तक जाँच प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है । इस वाद में काफी लम्बा समय व्यतित हो गया है एवं वाद की कारवाई को और लम्बित रखना उचित प्रतित नहीं होता है। अतः वाद की कार्रवाई **समाप्त** किया जाता है। यदि आवेदक चाहें तो पुनः आवेदन कर सकतें हैं।

Digitally signed by MAHENDRA KUMAR
Date: 2021.11.25 17:34:06 +05:30
Location: 192.168.0.101

Scanned with CamScanner